

## प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय के द्वारा अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण व बिक्री में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे हैं अभियान के तहत कार्यवाही

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण व बिक्री में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी कोतवाली महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजघाट व टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर राजघाट पुल के नीचे झाड़ी में से एक नफर अभियुक्त अभिषेक सोनकर उर्फ लाला पुत्र स्व० हरिशचन्द्र सोनकर उम्र 20 वर्ष नि० हर्बट बंधा मछली मंडी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को लगभग 60 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब 550 ग्राम यूरिया व 800 ग्राम नौसादर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना राजघाट गोरखपुर पर मु०अ०सं० 228/2021 धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधि० पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1- अभिषेक सोनकर उर्फ लाला पुत्र स्व० हरिशचन्द्र सोनकर उम्र 20 वर्ष नि० हर्बट बंधा मछली मंडी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।

### गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान--

दिनांक 06.09.2021 समय 10.50 AM बजे, गिरफ्तारी का स्थान – राजघाट पुल के बाये तरफ झाड़ी में  
अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

1-मु०अ०सं० 228/2021 धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर।

### गिरफ्तारी टीम में सम्मिलित पुलिस अधि०/कर्मचारी-

1-प्र०नि० श्री विनय कुमार सरोज थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।

2-उ०नि० अनूप कुमार मिश्र थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।

3-हे०का० धर्मेन्द्र भारद्वाज थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।

4-का० गोरख सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।